"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 234] रायपुर, बुधवार दिनांक 19 अगस्त 2009—श्रावण 28, शक 1931

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 अगस्त 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ 9-27/खाद्य/2008/29.—भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) की अधिसूचना जो का. आ. 1373 (अ) दिनांक 29-08-2006, का. आ. 906 (अ) दिनांक 02-04-2009, का. आ. 823 (अ) दिनांक 07-04-2008, का. आ. 905 (अ) दिनांक 02-04-2009 तथा का. आ. 1621 (अ) दिनांक 02-07-2009 के अधीन प्रकाशित की गई है के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का सं. 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा केन्द्र सरकार की पूर्व सहमति से, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छ. ग. आवश्यक वस्तु व्यापारी (अनुज्ञापन तथा जमाखोरी पर निर्बंधन) आदेश 2009 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त आदेश में,—

(1) खण्ड 2 के उपखण्ड में (ग) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड स्थापित किया जाय, अर्थात् :—

"(ग) "व्यापारी" से अभिप्रेत है, कोई व्यक्ति, भागीदारी फर्म, संस्था या कोई ऐसा पंजीकृत निकाय जो किसी या समस्त अनुसूचित वस्तुओं के क्रय, विक्रय या विक्रय हेतु स्टॉक (इसमें उसके द्वारा वैयक्तिक खेती द्वारा उत्पादित वस्तुओं का स्टॉक सम्मिलित नहीं है) का व्यापार करता हो या करने का आशय रखता हो, जिसमें कमीशन अभिकर्ता का व्यापार और प्रसंस्करणकर्ता भी सम्मिलित है—

(एक) खाद्य तेल की दशा में, जिसमें उदजनित वनस्पति तेल शामिल है, एक समय में 200 क्विंटल से अधिक मात्रा का स्टॉक रखे.

(दो) खाद्य तेल के बीज की दशा में एक समय में 500 क्विंटल से अधिक मात्रा का स्टॉक रखे.

(तीन) चीनी की दशा में एक समय में 100 क्विंटल से अधिक मात्रा का स्टॉक रखे.

(चार) खाद्य तेल, खाद्य तेल के बीज और चीनी को छोड़कर अन्य अनुसूचित वस्तुओं की दशा में—

(क) केवल एक अनुसूचित वस्तु के किसी भी एक समय में 1000 (एक हजार) क्विंटल से अधिक मात्रा का स्टॉक रखे.

(ख) दो या अधिक अनुसूचित वस्तुओं के किसी भी एक समय में 2000 (दो हजार) क्विंटल से अधिक मात्रा का स्टॉक रखे."

(2) इस आदेश की अनुसूची-एक के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची स्थापित किया जाय :—

अनुसूची-एक

अनुसूचित वस्तुएं

[खंड 2 (झ) देखिए]

1. "दाल" से अभिप्रेत है उड़द, मूंग, अरहर, मसूर, मटर और चना, साबुत या दला हुआ या छिलका रहित.

2. चावल

3. "खाद्य तेल" जिसमें समस्त प्रकार के खाद्य तेल सम्मिलित हैं.

4. "तेल के बीज" ऐसे बीज जिनसे खाद्य तेल तैयार किया जाता है किन्तु इसमें नारियल का तेल सम्मिलित नहीं है.

5. "चीनी" से अभिप्रेत है, किसी भी प्रकार की चीनी जिसमें 90 प्रतिशत से अधिक इक्षु शर्करा (सुक्रोज) हो.

(3) इस आदेश की अनुसूची-दो के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची स्थापित किया जाय :—

अनुसूची-दो

[खंड 5 (क) देखिए]

स. क्र.	अनुसूचित वस्तु	नगर की श्रेणी	व्यापारी (क्विंटल)	कमीशन अभिकर्ता (क्विंटल)	प्रसंस्करणकर्ता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	दाल	समस्त	1000	1000	कोई सीमा नहीं
2.	चावल	समस्त	2000	2000	कोई सीमा नहीं
3.	खाद्य तेल के बीज (समस्त प्रकार)	समस्त	1000	1000	कोई सीमा नहीं
4.	खाद्य तेल (समस्त प्रकार) -	समस्त	500	500	कोई सीमा नहीं
5.	चीनी	समस्त	2000	2000	कोई सीमा नहीं

(4) उक्त आदेश में खण्ड 15 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाये :—

15. **इस आदेश की वैधता**—यह आदेश, दाल हेतु क्र. एस. ओ. 1373 (ई) दिनांक 29 अगस्त, 2006, क्र. एस. ओ. 906 (ई) दिनांक 02 अप्रैल, 2009 तथा खाद्य तेल, खाद्य तेल बीज तथा चावल हेतु क्र. एस. ओ. 823 (ई) दिनांक 7 अप्रैल, 2008, क्र. एस. ओ. 905 (ई) दिनांक 02 अप्रैल, 2009 तथा चीनी हेतु क्र. एस. ओ. 1621 (ई) दिनांक 02 जुलाई, 2009 के अधीन जारी केन्द्रीय आदेश की वैधता के साथ संयुक्त रूप से, प्रवर्तन में रहेगी.

(5) अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन के प्रारूप (क) के पैरा 1 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा स्थापित किया जाये, अर्थात् :—

1. अनुसूचित वस्तुओं में दिनांक .... से .... तक की कालावधि के लिए अनुज्ञप्ति स्वीकृति/नवीनीकरण करने के लिए आवेदन पत्र :—
   (1) समस्त अनुसूचित वस्तुएं—
   (2) किसी एक या एक से अधिक अनुसूचित वस्तु-दाल/चावल/खाद्य तेल के बीज/खाद्य तेल/चीनी.

टीप :- समस्त अनुसूचित वस्तुओं या एक या एक से अधिक अनुसूचित वस्तुओं के लिए केवल एक ही अनुज्ञप्ति होगी और अनुसूची-एक में परिवर्तन होने पर पृथक आवेदन लिया जाएगा.

(6) अनुज्ञप्ति जारी किये जाने हेतु निर्धारित प्रारूप (ख) के पैरा 2 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा स्थापित किया जाये, अर्थात् :—

2. एक या एक से अधिक अनुसूचित वस्तु-दाल/चावल/खाद्य तेल के बीज/खाद्य तेल/चीनी

टीप :- समस्त अनुसूचित वस्तुओं के लिए एक ही संयुक्त विज्ञप्ति होगी और अनुसूची-एक में अनुसूचित वस्तुओं में परिवर्तन होने पर यह समझा जाएगा कि उनमें ऐसे परिवर्तन उनकी अधिसूचना की तारीख से वह स्वयंमेव परिवर्तित हो गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. कुंजाम, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 19 अगस्त 2009

क्रमांक एफ 9-27/खाद्य/2008/29.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 19 अगस्त, 2009 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. कुंजाम, उप-सचिव.

Raipur, the 19th August 2009

NOTIFICATION

No. F 9-27/Food/2008/29.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (No. 10 of 1955) read with notification of the Government of India, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs) published under S. O. 1373 (E) dated 29-08-2006, S. O. 906 (E) dated 02-04-2009, S. O. 823 (E) dated 07-04-2008, S. O. 905 (E) dated 02-04-2009 and S. O. 1621 (E) dated 02-07-2009 with the prior concurrence of the Central Government, the State Government hereby makes the following amendments in the Chhattisgarh Scheduled Commodities Dealers (Licensing and Restriction on Hoarding) Order, 2009 namely :—

AMENDMENTS

In the said order,—
(1) For sub-clause (c), of clause 2, the following sub-clause shall be substituted, namely :—

"(c) "Dealer" means any person, partnership firm, institution or registered body, a person who is engaged or intents to engage in the business of purchase, sale or storage for sale (in which it not included the

stock of the commodities produced from his personal cultivation) for any or all scheduled commodity, in which the business of commission agent and processor is also included :—

(i) In case of edible oil including hydrogenerated vegetable oil, keeping stock of more than 200 quintals at any one time.

(ii) In case of edible oil seeds, keeping stock of more than 500 quintals at any one time.

(iii) In case of sugar, keeping stock of more than 100 quintals at any one time.

(iv) In case of other scheduled commodities, except edible oil, edible oil seeds and sugar—

(A) Only one scheduled commodity, keeping stock of more than 1000 quintals (One thousand) at any one time.

(B) Two or more scheduled commodities, keeping stock of more than 2000 quintals (Two thousand) at any one time."

(2) For the Schedule-I of this order, following Schedule-I shall be substituted, namely :—

SCHEDULE-I

(Scheduled Commodities)
[See Clause 2 (i)]

1. "Pulses" means Urad, Moong, Arhar, Masur, Peas and Gram whole or split or without husk.

2. Rice.

3. "Edible oil" means all edible oil.

4. "Oilseeds" means the seeds from which the edible oil is prepared but does not include coconut.

5. "Sugar" means any form of sugar which contains more than 90 percent of sucrose.

(3) For the Schedule-II of this order, following Schedule-II shall be substituted :—

SCHEDULE II
[See Clause 5 (a)]

S. No. (1)	Scheduled commodity (2)	Category of city (3)	Dealer (Qtls) (4)	Commission agent (Qtls) (5)	Processor (6)
1.	Pulses	All	1000	1000	No limit
2.	Rice	All	2000	2000	No limit
3.	All edible Oilseeds	All	1000	1000	No limit
4.	All edible oil	All	500	500	No limit
5.	Sugar	All	2000	2000	No limit

(4) In the said order for the clause 15, the following clause shall be substituted, namely :—

15. **Validity of this order**— This order shall remain in force concurrently with the validity of the central orders issued under No. S. O. 1373 (E) dated 29th August, 2006, No. S. O. 906 (E) dated 02nd April, 2009 for pulses and No. S. O. 823 (E) dated 7th April, 2008, No. S. O. 905 (E) dated 02nd April, 2009 for edible oils, edible oilseeds and rice and No. S. O. 1621 (E) dated 02nd July, 2009 for sugar.

(5) For the existing paragraph 1 of form A for application of licence, the following paragraph shall be substituted, namely :—

1. Application for grant/renewal of licence for period .... to .... for the scheduled commodities—

(1) All scheduled commodities
(2) Any one or more than one schedule commodity- Pulses/Rice/Edible oilseeds/Edible oil/ Sugar.

Note :- There shall be only one licence for any one or more than one schedule commodity and separate application will be received in case of change in schedule-I

(6) For the existing paragraph 2 of form B for prescribed licence form, the following paragraph shall be substituted, namely :—

(2) Any one or more than one Scheduled commodity-Any one or more than one scheduled commodity Pulses/Rice/Edible oilseeds/Edible oil/Sugar.

Note :- There shall be only one joint licence for all scheduled commodity and change in scheduled commodity shall assumed as the change in schedule-I from the date of notification.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. D. KUNJAM, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.

1